

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2024/ 5003

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 08-08-24

प्रार्थी
खेतु देवी पत्नी चिमाराम
वगैरह जाति जाट निवासी
अमरपुरा (हाथीतला) तहसील
व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 किरतुरी पत्नी भीयाराम वगैरह निवासी
अमरपुरा हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 382/2024

दिनांक- 19.06.2024

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अमरपुरा पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 307/101 रकबा 8.1746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 102 रकबा 2.8409 हैक्टेयर मौजा महेशोणी गोदारों की ढाणी पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 274 रकबा 6.7501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 309/272 रकबा 2.1125 हैक्टेयर, खसरा संख्या 287/304 रकबा 8.1746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 287/305 रकबा 6.8554 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 रकबा 0.1214 हैक्टेयर व खसरा संख्या 298 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 299 रकबा 17.5552 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386/287 रकबा 11.8168 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5004-5007

दिनांक- 08-08-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खेतुदेवी पत्नी चिमाराम वगैरह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी किरतुरी पत्नी भीयाराम वगैरह निवासी अमरपुरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बाड़मेर
बाड़मेर